<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना गरौठा, झाँसी</u>

<u>दिनाँक 01.08.2025</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही,**
- **फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर धोखाधड़ी करने के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी, श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 01.08.2025 को थाना गरौठा पुलिस द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर धोखाधड़ी करने के अभियोग में वाँछित अभियुक्त प्रेमनारायण उर्फ कल्लू पुत्र सुट्टी कोरी निवासी ग्राम खिल्लावारी थाना टहरौली जिला झाँसी उम्र 59 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 - 130/2025 धारा 319(2)/ 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना गरौठा, जनपद झाँसी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

थाना गरौठा पर वादी श्री कपिल खरे पुत्र बृजेन्द्र खरे निवासी ग्राम बछेह थाना गुरसरायं जनपद झाँसी हाल निवासी 1919 रामजानकीपुरम कालोनी मेहदी बाग थाना कोतवाली जनपद झाँसी द्वारा लिखित सूचना कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की भूमि मौजा बछेह थाना गुरसराय तहसील गरौठा की रजिस्ट्री प्रेमनारायण पुत्र सुट्टी कोरी निवासी खिल्लवारी थाना टहरौली झाँसी द्वारा कपिल खरे का फर्जी आधार कार्ड बनाकर तथा स्वंय फर्जी कपिल खरे बनकर व फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने सहयोगियो के साथ मिलकर क्रेता गजेन्द्र कुमार पुत्र लखनलाल निवासी ग्राम गौती थाना एरच के नाम रजिस्ट्री दिनांक 01.07.2025 को तहसील गरौठा में करा देना तथा पुनः कपिल खरे की शेष भूमि को बनावटी व्यक्ति कपिल खरे द्वारा आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज पर फोटो लगाकर फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में दी गयी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर दिनाँक 31.07.2025 को मु0अ0स0- 130/2025 धारा 319(2)/ 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS बनाम प्रेमनारायण आदि व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में थाना गरौठा पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये आज दिनांक 01.08.2025 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रेमनारायण उर्फ कल्लू पुत्र सुट्टी कोरी निवासी ग्राम खिल्लावारी थाना टहरौली जिला झाँसी को कस्बा व थाना गरौठा जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय सम्बन्धित न्यायालय पेश किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम-</u> प्रेमनारायण उर्फ कल्लू पुत्र सुट्टी कोरी निवासी ग्राम खिल्लावारी थाना टहरौली जिला झाँसी उम्र 59 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. श्री बलिराज शाही, प्रभारी निरीक्षक थाना गरौठा, जनपद झाँसी
2. उ.नि. श्री अश्वनी दीक्षित, थाना गरौठा,जनपद झाँसी
3. का.1245 नागराज, थाना गरौठा जनपद झाँसी